लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 4620021
दूरभाष– 91–0755–2583630 फेक्स–91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्र.विद्या / मोगली / 09–10 / 37 भोपाल दिनांक 12.03.2010

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्यस्तरीय मोगली बाल महोत्सव का आयोजन दिनांक 9,10,11 अप्रैल 2010, पेंच अभ्यारण्य सिवनी म.प्र.।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र.विद्या / मोगली / 09 / 826 दिनांक 09.09.09

विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान के साथ में मध्यप्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं आदि के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से इस वर्ष भी मोगली बाल उत्सव का आयोजन 9,10,11 अप्रैल 2010 को पेंच अभ्यारण्य सिवनी में आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.09.09 के अनुक्रम में विद्यालय स्तर, जन शिक्षण केन्द्र स्तर, एवं विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर निर्धारित तिथियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन सम्पन्न हो चुका है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार होगीः–

(1) जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त कनिष्ठ वर्ग से एक छात्र तथा एक छात्रा एवं वरिष्ठ वर्ग से एक छात्र तथा एक छात्रा का चयन किया जायेगा। सिवनी जिला दल में 16 विद्यार्थी (कनिष्ठ वर्ग के 4 छात्र एवं 4 छात्रा तथा वरिष्ठ वर्ग के 4 छात्र एवं 4 छात्रा) भाग ले सकेंगे। ये चयनित छात्र पेंच अभ्यारण्य जिला सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय `` मोगली बाल उत्सव`` में सहभागिता करेंगे। राज्य स्तरीय आयोजन दिनांक 9,10,11 अप्रैल 2010 को होगा। इन छात्र–छात्राओं के साथ एक महिला शिक्षिका रहेगी, जिनका चयन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जो प्रतियोगी छात्र या छात्रा एवम् महिला शिक्षिका पूर्व में किसी भी राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव के आयोजन में सम्मिलित हुये है, उनका चयन न किया जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तर के आयोजन में भाग लेने वाले छात्र / छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका ही जायेगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नही होगी।

(2) जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित छात्र / छात्राओं तथा शिक्षिकाओं के `` मोगली बाल उत्सव`` राज्य स्तरीय आयोजन में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एप्को (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन) द्वारा हर जिले में ईको क्लब को आकस्मिक व्यय हेतु प्रदान की गई राशि में से वहन किया जायेगा। इसी राशि से दल के प्रत्येक सदस्य को रूपये 100 / – रास्ते के भोजन / स्वल्पहार के लिए दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव के प्रतियोगी तथा सहजकर्ताओं के अधिकतम 600 / – (छः सौ मात्र) के ट्रेकिंग शूज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें संबंधित

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित छात्र एवं छात्रा मोगली बाल उत्सव में आवश्यक रूप से सम्मिलित हो, यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई छात्र/छात्रा सम्मिलित होने में असमर्थ हो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र अथवा छात्रा को मोगली बाल उत्सव में अनिवार्यतः सम्मिलित कराया जाये। **गत वर्षो में यह बात देखने में आई है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद वे छात्र एवं शिक्षक पुनः आयोजन में सहभागी कर लिए जाते है जो पहले भी इसमें सहभागिता कर चुके है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि वे एक बार के अतिरिक्त फिर सम्मिलित न हों।**

(4) **एकत्रीकरण स्थल** :–

एकत्रीकरण स्थल मोगली उत्सव प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व दिनांक 08.04.2010 दोपहर 12:00 बजे तक सभी जिला दल निम्नानुसार स्थानों पर पहुँचेंगे :–

1. उत्कृष्ट विद्यालय, सिवनी– बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाधाट
2. उत्कृष्ट विद्यालय, जबलपुर– शेष सभी 46 जिले

प्रतिभागियों के एकत्रीकरण उपरोक्तानुसार रहेगा, स्वागत व्यवस्था एवं प्रतिभागियों के चाय, स्वल्पहार, भोजन एवं लघु विश्राम की व्यवस्था संयुक्त संचालक जबलपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा की जायेगी।

(5) **प्रतिभागियों का आगमन** :–

एकत्रीकरण स्थल से प्रतिभागियों को कैम्प स्थल पर निर्धारित तिथि को सांय 4:00 तक पहुँचना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आयोजन उपरांत एकत्रीकरण स्थल तक प्रतिभागियों का इस प्रकार पहुँचने की व्यवस्था की जाये कि वे अपने जिले हेतु निर्धारित ट्रेन से प्रस्थान कर सके। जिला स्तर पर चयनित तथा राज्य स्तर पर भाग लेने वाले दल की पूर्ण जानकारी संलग्न प्रपंत्र 01 में दी जाये।

सहभागी जिला दल के आवागमन हेतु गत वर्ष के दिशा–निर्देश क्र. विद्या/मोगली/08/2951, दिनांक 24.11.2008 के अनुसार रहेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बी.आर.नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण, भोपाल

पृ.क्रमांक/विद्या/मोगली/2009/38 भोपाल दिनांक 12.03.2010

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष सचिव, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

(3) जिला कलेक्टर, सिवनी मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, भोपाल